54

संख्या- -दो(1)/XXXVI(2)/2011-2-दो(2)/11

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2011

विषय: न्यायिक अधिकारियों के अध्यासन हेतु भवन स्वामी से किराये पर लिये गये आवासीय भवन के किराये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2011-2012 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3588/बीस-45 (2010-11), दिनांक 13 सितम्बर, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला चम्पावत में सेवारत न्यायिक अधिकारियों के अध्यासन हेतु भवन स्वामी से किराये पर लिये गये आवासीय भवनों के किराये के भुगतान हेतु कुल रु०-1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- :-

(I) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।

(II) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय ।

(III) निजी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये भवनो के किराये का भुगतान वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के लिए अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-00- आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या- /2 -दो(2)/XXXVI(2)/2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ।
3- जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग ।
4- निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
5- कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
6- वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/गार्ड बुक ।

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।